40

राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई उद्योगों के प्रयोजनों के लिये भूमि का संपरिवर्तन और नियमितिकरण और कुओं का उपयोग) नियम, 1991

अनुक्रमणिका

नियम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
1.	संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	394
2.	परिभाषाएं	394
3.	इन नियमों का विस्तार	394
4.	कुओं और भूमि के संपरिवर्तन और नियमितीकरण की शर्त	394
5.	भूमि का प्रतिवर्तन	395
6.	पट्टे की कालावधि	395
	प्ररूप "क" एवं प्ररूप "ख"	395-397

40

[1]राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई उद्योगों के प्रयोजनों के लिये भूमि का संपरिवर्तन और नियमितिकरण और कुओं का उपयोग) नियम, 1991

जी.एस.आर.-27 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 56) की धारा 92 और 102 के साथ पठित धारा 261 की उप-धारा (2) के खण्ड (XI-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है—

नियम 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(क) इन नियमों का नाम राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई उद्योगों के प्रयोजनों के लिये भूमि का संपरिवर्तन और नियमितीकरण और कुओं का उपयोग) नियम, 1991 है।

(ख) ये इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

नियम 2. परिभाषाएं—इन नियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो,—

(क) ''अधिनियम'' से राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 अभिप्रेत है।

(ख) ''कलेक्टर'' से ऐसे जिले जिसमें भूमि स्थित है का कलेक्टर अभिप्रेत है।

(ग) ''प्ररूप'' से इन नियमों से संलग्न कोई प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) ''सरकार'' से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है।

(ङ) इन नियमों में प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों के वे ही अर्थ होंगे जो राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 3) में या राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं.15) में उन्हें दिये गये है।

नियम 3. इन नियमों का विस्तार—ये नियम बाड़मेर और पाली जिले में रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई का कारोबार करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रयोजन के लिए भूमि के नियमितीकरण और संपरिवर्तन तथा कुआँ से जल के उपयोग को विनियमित करेंगे।

नियम 4. कुओं और भूमि के संपरिवर्तन और नियमितीकरण की शर्त—इन नियमों का प्रारम्भ हो जाने पर यदि किसी व्यक्ति ने अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किन्ही नियमों में अन्तर्विष्ट उपबंधों के उल्लंघन में,—

(क) विधिपूर्ण प्रधिकार के बिना सरकारी भूमि पर कुए का निर्माण कर लिया है और वह ऐसे कुए से पानी निकाल रहा है तथा ऐसे कुए के साथ-साथ पार्श्वस्थ भूमि का उपयोग कर रहा हो, या

(ख) अपनी स्वयं की कृषि भूमि या सिंचाई का कुआं कृषितर प्रयोजनों अर्थात् लघु रंगाई, छपाई, विरंजन, या धुलाई उद्योग चलाने के लिए उपयोग में ले लिया है और विरुद्ध अधिनियम की धारा 91 के अधीन की कार्यवाहियाँ प्रारम्भ कर दी गई है।

तो कलेक्टर उसे इन नियमों के प्रशासन की तारीख से 180 दिन में भीतर नियमितीकरण और संपरिवर्तन के लिए प्ररूप ''क'' में आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर ऐसी जाँच करने के पश्चात् जो वह आवश्यक

1. राज. राज पत्र भाग4 (ग) (I) दिनांक 23-4-92 में प्रकाशित।

समझे, अधिनियम के अधीन उसके विरूद्ध कार्यवाही करने के बजाय उसे ऐसे औद्योगिक प्रयोजन के उपयोग के लिए दो एकड़ से अनाधिक ऐसी भूमि और कुंआ नीचे वर्णित निर्बन्धनों और शर्तों पर रखने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा—

(1) भूमि का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए जिसके लिए वह पट्टे पर दी गयी है और ऐसे सहबद्ध प्रयोजनों के लिए, जो ऐसे रंगाई, छपाई, धुलाई या विरंजन उद्योग के लिए अपेक्षित है, किया जायेगा।

(2) पट्टेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 में अन्तर्विष्ट जल प्रदूषण निवारण संबंधी उपबन्ध तथा उसके अधीन जारी किये गये आदेशों का पालन किया जाता है।

(3) वह अपनी भूमि का ऐसे नियमितिकरण की तारीख से तीन वर्ष के अवसान से पूर्व, अन्तरण नहीं करेगा।

(4) खातेदारी भूमि की दशा में—

(क) वह खातेदारी अधिकार अभ्यर्पित करेगा और तत्पश्चात वह सरकारी भूमि समझी जायेगी,

(ख) वह प्रत्येक बीघा या उसके भाग के लिए प्रति वर्ष 100/-रुपये की दर से पट्टा किराया संदत्त करेगा।

(5) सरकारी भूमि की दशा में वह प्रत्येक बीघा या उसके भाग के लिए प्रति 500/-रुपये की दर से पट्टा किराया संदत्त करेगा।

नियम 5. भूमि का प्रतिवर्तन—ऊपर वर्णित शर्तों में से किसी भी शर्त को पूरा करने में पूरा उसके विफल रहने पर या पट्टे कि कालावधि की समाप्ति पर भूमि स्वामी या, यथास्थिति, राज्य सरकार को उसी रुप में परिवर्तित हो जायेगी जिसमें वह ऐसे संपरिवर्तन के पूर्व उपयोग में ली जाती थी।

नियम 6. पट्टे की कालावधि—पट्टा आरम्भिक तौर पर पांच वर्ष की कालावधि के लिए होगा जिसका एक बार में 5 वर्ष के लिए नवीकरण किया जा सकेगा, ऐसे प्रत्येक नवीकरण पर पट्टा किराया 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा। पट्टा विलेख प्ररूप ''ख'' में होगा।

प्ररूप ''क''

(देखिए नियम 4)

प्रेषिति

कलेक्टर

.....

.....

मैं रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई का कारोबार करने वाली लघु औद्योगिक इकाईयों के प्रयोजन के लिए भूमि के संपरिवर्तन, नियमितीकरण और कुओं से जल के उपयोग के लिए राजस्थान भू-राजस्व (रंगाई, छपाई, विरंजन और धुलाई उद्योगों के प्रयोजनों के लिये भूमि का संपरिवर्तन और नियमितीकरण और कुओं का उपयोग) नियम, 1991 के नियम 4 के अधीन के द्वारा आवेदन करता हूँ।

2. अपेक्षित विशिष्टियाँ नीचे दी जाती है—

(i) आवेदन का नाम, माता-पिता का नाम और पता

(ii) भूमि और कुए की विशिष्टियाँ—

(क) ग्राम/कस्बे और तहसील का नाम